भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2140

(जिसका उत्तर मंगलवार, 22 मार्च, 2022/1 चैत्र, 1944 (शक) को दिया जाना है)

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में ऋण का अनुपात

2140. श्रीमती फूलो देवी नेतम:
डा. एल. हनुमंतय्या:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2014 से अब तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में भारत द्वारा वर्ष-वार कुल कितने केंद्रीय और राज्य ऋण का भुगतान किया गया है;

(ख) वर्ष 2016 की राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम समीक्षा समिति द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत सरकार द्वारा वर्ष 2023 तक कुल ऋण को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 60 प्रतिशत तक कम नहीं कर पाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम समीक्षा समिति द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने कोई वैकल्पिक योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्ष 2024 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में ऋण के अनुपात हेतु सरकार के लक्ष्य क्या हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में कुल केंद्रीय और राज्य ऋण पुनर्भुगतान का वर्ष-वार विवरण संलग्न है।

(ख) से (ङ): राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 4 (I) (ख) के अनुसार, केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक राज्य सरकार का ऋण सकल घरेलू उत्पाद के साठ प्रतिशत से अधिक न हो और केंद्र सरकार का ऋण सकल घरेलू उत्पाद के चालीस प्रतिशत से अधिक न हो। सरकार ने 2021-22 के बजट में वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत से कम करने की घोषणा की है।

****

अनुबंध

केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कुल ऋण पुनर्भुगतान का वर्ष-वार विवरण

(जीडीपी के % के रूप में)

वित्तीय वर्ष	केंद्र के ऋण का पुनर्भुगतान	राज्यों के ऋण का पुनर्भुगतान
2014-15	2.21%	0.3%
2015-16	2.13%	0.3%
2016-17	2.13%	0.3%
2017-18	1.65%	0.5%
2018-19	1.63%	0.7%
2019-20	2.19%	0.7%
2020-21	2.25%	0.7%
2021-22 (9 मार्च 2022 तक)	2.97%	0.8%

नोट: *केंद्र* के ऋण का पुनर्भुगतान *दिनांकित प्रतिभूतियों और 364-दिवसीय टी बिलों के पुनर्भुगतान के लिए है।*

स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका, भारतीय रिजर्व बैंक।